कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ) जिला पन्ना (म0प्र0)

Email- loksevapanna@gmail.com , Contect No. 07732-252342

क्र0/719 /लो0से0प्र0/समाधान एक दिवस नस्ती /2018/ पन्ना,दिनांक 25/09/2018

निविदा आमंत्रण सूचना

जिले के लोकसेवा केन्द्रो के लिये LED TV 43 Inch , DVR Device (2 mp 4 channel All cctv Camra Supported With 1 TB Hard Disk) सामग्री क्रय किये जाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 25/09/2018 से दिनांक 01/10/2018 शाम 5:00 बजे तक कार्यालय मे स्वयं या डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते है निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रपत्र बेबसाइट http://panna.nic.in या विभाग की बेबसाइट http://mpedistrict.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत पन्ना

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ) जिला पन्ना (म0प्र0)

Email- loksevapanna@gmail.com , Contect No. 07732-252342

क्र0 / 719 / लो0से0प्र0 / समाधान एक दिवस नस्ती / 2018 / पन्ना,दिनांक 25 / 09 / 2018

//निविदा विवरण//

जिले के लोकसेवा केन्द्रो के लिये निम्न वर्णित सामग्री क्रय किये जाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 25/09/2018 से दिनांक 01/10/2018 शाम 5:00 बजे तक कार्यालय मे स्वयं या डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते है निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रपत्र बेबसाइट http://panna.nic.in या विभाग की बेबसाइट http://mpedistrict.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है।

सं क्र	सामग्री का नाम	कम्पनी	सामग्री का विवरण	मात्रा (नग)	निविदा शुल्क	प्रतिभूति राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	LED TV	INTEX OR OTHER BRAND	FULL HD 43 INCH WITH HDMI,VGA,USB PORT	10	500/-	15000/-
2.	DVR DEVICE WITH HARDISK	HIKVISSION OR CP PLUS	2 MP,4 CHANNEL ALL COMPANY CAMERA SUPPORTED WITH 1 TB HARDDISK	9		5000/-

निविदा की शर्ते निम्नानुसार है -

1. निविदा एक बडे लिफाफे मे जिस पर लोकसेवा केन्द्रो लिये उपकरण हेतु निविदा एवं प्रेषक का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये इस लिफाफे के अंदर दो अन्य लिफाफे होंगे जिन पर तकनीकि निविदा हेतु एवं वित्तीय निविदा हेतु स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये अन्यथा की स्थिती मे निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. तकनीकि निविदा वाले लिफाफे मे निविदा शुल्क रूपये 500/- मात्र एवं जिस सामग्री के लिये निविदा कार्यालय मे प्रस्तुत की जा रही है उस सामग्री के लिये कॉलम क्रमांक 7 मे वर्णित राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी पन्ना के पक्ष मे भारतीय स्टेट बैंक गणेश मार्केट पन्ना मे देय हो एवं फर्म का माल एवं सर्विस कर मे रजिस्टेशन का सर्टिफिकेट एवं पते के प्रमाण पत्र रखना होगा।
3. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की बैधता न्यूनतम 3 माह होनी चाहिये।

4. तकनीकि लिफाफे मे प्राप्त निविदा शुल्क रूपये 500/- का डिमांड ड्राफट जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी के खाते मे जमा की जायेगी तथा प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफट निविदाकार के चयन होने के पश्चात सफल निविदाकार को छोडकर अन्य निविदाकारों की वापिस की जायेगी।

5. सफल निविदाकार जिसका चयन उक्त सामग्री प्रदाय करने के लिये किया गया है की प्रतिभूति राशि का ड्राफट निविदा निष्पादन के बाद वापिस किया जा सकेगा निविदा की शर्तो के उल्लधन करने पर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

6. वित्तीय निविदा बाले लिफाफे मे फर्म के लेटरहेड पर वर्णित सामग्री की दर प्रति नग एवं कुल मूल्य (समस्त करों सहित) प्रस्तुत करनी होगी।

7. निविदा प्रपत्र दिनांक 25/09/2018 से दिनांक 01/10/2018 तक कार्यालयीन समय मे स्वयं या डाक के माध्यम से शाम 5:00 बजे तक जमा किये जा सकते है।

8. तकनीकि निविदा मे पात्र पाये गये सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

9. उक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की एवं तय मानको के अनुसार होनी चाहिये सामग्री मानको के अनुसार न होने पर क्रय आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

10. एल ई डी टी वी को आदेश मे वर्णित जिले के लोकसेवा केन्द्रो मे स्थापित करना होगा जिसका प्रथक से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

11. डी वी आर को आदेश मे वर्णित जिले के लोकसेवा केन्द्र मे स्थापित कर कैमरो को ऑनलाइन करते हुये संबंधित लोकसेवा केन्द्र एवं जिला कार्यालय मे प्रदर्शित करना होगा जिसका प्रथक से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

12. उक्त सामग्री आदेश मे वर्णित समयावधि के अंदर प्रदाय की जानी होगी उक्त समयावधि मे सामग्री उपलब्ध न करवाने पर जुर्माना या क्रय आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

13. भुगतान की जाने वाली राशि मे से शासन के नियमानुसार सभी करों का कटौत्रा किया जायेगा।

14. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओ को किसी भी स्थिती मे स्वीकार्य नही किया जायेगा डाक से होने वाले बिलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।

15. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा या समस्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर सकती है।

16. किसी भी प्रकार के वादविवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय जिला पन्ना का होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत पन्ना